

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-264/2026 दिनांक-21.09.2026)
***दिनांक-21.09.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा चोरी से सम्बंधित एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2026 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 195/2026 धारा 305(क)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बंधित वांछित अभियुक्त को 1- चोरी के 8,300/- रुपये, 2- चोरी के दौरान प्रयोग किये जाने वाले औजार के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 195/2026 धारा 305(क)/331(4)/ 317(2) बीएनएस थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र सिंह निवासी सुकरौली थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी विवरण-

- 1- चोरी के 8,300/- रुपये,
- 2- चोरी के दौरान प्रयोग किये जाने वाले औजार (एक अदद लोहे का हथौड़ी, एक अदद पिलास व एक अदद पेचकस)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री अंकित सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

3. का0 शिव प्रकाश यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
4. का0 सुभम यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
5. का0 विरेन्द्र यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा हत्या आदि के मामले में वांछित 04 नफर अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त आलाकल चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2026 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 194/2026 धारा 191(2)/191(3)/103(1)/109(1)/3(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि0 से संबंधित 04 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकल चाकू बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कृषि फार्म सेवरही के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें घायल नीरज पटेल द्वारा अभियुक्तगण के नाम पुलिस को बताये गये थे। उक्त घटना को लेकर अभियुक्तगण और नीरज पटेल के मध्य पुरानी रंजिश चल रही थी।

अभियुक्तगण के अनुसार दिनांक 15.09.2026 को बनरहा चौराहे के पास नीरज पटेल व रोहित खरवार से इसी पुरानी बात को लेकर विवाद एवं मारपीट हुई थी। इसी मार-पीट व पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 18.09.2026 को अभियुक्तगण द्वारा डा0 ए0के0 राव इन्द्रप्रस्थ कालेज, सपही टडवा के सामने नीरज पटेल व रोहित

खरवार के ऊपर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में रोहित खरवार की मृत्यु हो गयी तथा नीरज पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये थे।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/2026 धारा

191(2)/191(3)/103(1)/109(1)/3(5) बीएनएस व 4/25

शस्त्र अधि0 थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सोनू पासवान पुत्र हरिकेश पासवान निवासी बरवाराजा पाकड़, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
2. विकास पासवान पुत्र जियन, निवासी बरवाराजा पाकड़, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
3. अजय निषाद पुत्र उमेश निषाद, निवासी बभनौली, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर।
4. रंजन खरवार पुत्र मुंजेश खरवार, निवासी बभनौली, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 देवब्रत यादव, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
3. उ0नि0 शशांक राय, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
4. का0 सर्वेश कुमार, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
5. का0 आलोक कुमार, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
6. का0 उमाशंकर यादव, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
7. का0 रितेश यादव, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
8. म0का0 दिव्यांशी सिंह, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
9. म0का0 अंजू वर्मा, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।
10. चालक का0 योगेन्द्र कुमार, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।



जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2026 को थाना खड्डा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी व थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 55 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में-

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 73 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0 98, व्यक्ति-294
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी- (कुल 62)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

